रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-27/2025/143के-2/22-3-2024-17(276)/24

लखनऊ : दिनांक: 13 फरवरी, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/ 2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व योग दिवस (21 जून, 2024) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्याम धानक (बन्दी संख्या-27452) पुत्र श्री रामा धानक, निवासी लक्खी बाग, थाना-कोतवाली, जनपद-देहरादून हाल पता-जय गंगा सेल्यून, गोविन्द प्लाजा, थाना-लाल कुर्ती, जनपद-मेरठ, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1118/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, मेरठ के आदेश दिनांक 31.03.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30-08-2018 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त दण्ड को यथावत रखा गया है, द्वारा दिनांक 21.06.2024 तक 16 वर्ष, 02 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 04 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in